प्रारूप संख्या यूआरसी–2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के अधीन पंजीकरण की सूचना देने वाला विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण हेतु प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, आरओसी–दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया गया है कि **ब्लैकब्रिक वेंचर्स एलएलपी** एक सीमित देयता भागीदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

क) एक निवेश ट्रस्ट का व्यवसाय चलाना, तथा भारत या विदेश में किसी सार्वजनिक या प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेशन, सरकारी प्राधिकरण या कानूनी संस्था द्वारा जारी किए गए शेयरों, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड, यूनिटों, म्यूचुअल फंड यूनिटों, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार के वित्तीय साधनों को अंडरराइट करना, सब–अंडरराइट करना, उनमें निवेश करना, अधिग्रहण करना, रखना, बेचना, खरीदना या किसी और तरह से सौदा करना।

ख) निवेश पूल, म्यूचुअल फंड, सामूहिक निवेश योजनाएं, पोर्टफोलियो योजनाएं, सिंडिकेट, ट्रस्ट, वेंचर फंड और शेयरों, स्टॉक, प्रतिभूतियों, वस्तुओं, वित्तीय परिसंपत्तियों, मुद्रा बाजार उपकरणों और अचल संपत्ति में निवेश वाहनों का प्रबंधन करनाव और फंड प्रबंधन, ट्रस्टी सेवाएं, निवेश परामर्श, वित्तीय योजना और संबंधित सेवाओं की गतिविधियों को जारी रखना।

3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और संस्था के नियमों की एक प्रति **604 आरजी ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, शकूरपुर, ब्लॉक I, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110034** स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।

4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **इक्कीस दिनों** के भीतर, **चतुर्थ तल, IFCI टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019** स्थित रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति भेज सकता है। जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी भेजनी होगी।

ब्लैकब्रिक वेंचर्स एलएलपी की ओर से
हस्ताक्षरकर्ता/-
दिनांक : 28.11.2025 दक्षय सेठी, (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन - 08931163

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015, और
शाखा कार्यालयः एफ8, प्रथम तल, महालक्ष्मी टॉवर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद–201010
ए ओः श्री सत्यम गुप्ता, संपर्क नं.: 8006600745
ईमेलः satyam.gupta@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत HHFL को प्रभारित चल और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री।

HHFL के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूचित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति HHFL द्वारा **''जहाँ है, जैसा है''** और **''जो है, जैसा है''** के आधार पर देय राशि की वसूली के लिए सहमत शर्तों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है। निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री ''जहाँ है जैसा है'' और ''जो है जैसा है'' के आधार पर होगी।
2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए HHFL की पेशकश की स्वीकृति की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर बिक्री मूल्य का 25प्रतिशत और उसके बाद 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी।
3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10प्रतिशत जमा करना होगा, जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की जाने वाली 25प्रतिशत राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
4. उपरोक्त खंड (2) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान न करने पर आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि के 10प्रतिशत सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. HHFL द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10प्रतिशत राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
6. संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे HHFL को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7. क्रेता को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता बाद में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
8. HHFL बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. एक से अधिक प्रस्ताव के मामले में, HHFL उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।
10. इच्छुक पक्ष आगे के विवरण/स्पष्टीकरण के लिए और **13.12.2025** को या उससे पहले अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया **15.12.2025** को समाप्त हो जाएगी।
11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क वहन करना होगा।
12. बिक्री SARFAESI अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

अनुसूची संपत्तियों का विवरण (सुरक्षित परिसंपत्ति)

1. फ्लैट नंबर सी–2, तृतीय तल, प्लॉट नंबर – 1/5 पीछे की तरफ इंद्रप्रस्थ योजना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102. **चौहद्दीः** पूरब – सड़क 12 मीटर चौड़ी, पश्चिम – प्लॉट नंबर पीएच–1/6, उत्तर – प्लॉट नंबर पीएच–1/4, दक्षिण – प्लॉट नंबर जीएच–02
आरक्षित मूल्य : रु. 10,50,000/– (रुपए दस लाख पचास हजार मात्र)

दिनांकः 27–11–2025, प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः गाजियाबाद हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के पास, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस, इस्कॉन – आंबली रोड, बोदकदेव, आंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054।
कॉर्पोरेट कार्यालयः सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063, महाराष्ट्र, भारत। **फोन नंबरः** +91 22 61796400 **ईमेलः** contact@kifs housing.com
वेबसाइटः www.kifshousing.com
सीआईएनः U65922GJ2015PLC085079 RBI COR: DOR-00145

भौतिक कब्जा सूचना

श्री विंशु वर्मा
(आवेदक)
श्रीमती निशा निशा (सह–आवेदक)
पताः मकान नंबर 10 कासना कासना, पोस्ट कासना ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 201310, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, 2 एनए लैंडमार्क एन नाना गौतमबुद्धनगर नोएडा उत्तर प्रदेश 201310. मोबाइलः 8920042335.

जबकि

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 11 मार्च, 2025 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें आपसे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपने ऋण खाता संख्या LNHLDEL009367 के विरुद्ध नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 9,27,737/– (रु. नौ लाख सत्ताईस हजार सात सौ सैंतीस मात्र)** चुकाने का आह्वान किया गया है।

आपके द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, आपको और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ 22 नवम्बर 2025 केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को बंधक रखी गई है।

आपको विशेष रूप से और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को **9,27,737/– रुपये (नौ लाख सत्ताईस हजार सात सौ सैंतीस रुपये मात्र)** की राशि के भार के अधीन होगा, जो 20 फरवरी, 2025 तक देय है, साथ ही 20 फरवरी, 2025 से भुगतान होने तक उस पर अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।

संपत्ति का विवरण

फ्लैट संख्या जीएफ–1, भूतल, क्षेत्रफल 433 वर्ग फुट, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, निवास रेजीडेंसी, बिंदल एन्क्लेव में स्थित, प्लॉट संख्या 9, 10 और 11, खसरा संख्या 1422, लैंडमार्क– डॉ. अंबेडकर एससी/एसटी छात्रावास, गाँव कासना, जिला जीबी नगर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा उत्तर प्रदेश– 201310। बिक्री विलेख के अनुसारः पूर्वः पार्किंग स्थल और दुकान संख्या 1, पश्चिमः नरेश गोयल का प्लॉट, उत्तरः नरेश गोयल का प्लॉट, दक्षिणरू फ्लैट संख्या जीएफ–02। **स्थल के अनुसारः** पूर्वः पार्किंग स्थल और दुकान संख्या 1, पश्चिमः नरेश गोयल का प्लॉट, उत्तरः श्रीमती का प्लॉट सुनीता, दक्षिणः फ्लैट संख्या जीएफ–02

हस्ता/–
स्थानः गौतमबुद्ध नगर प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 22–11–2025 केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101, 102 तथा 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई–400051

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई – 600116 तथा कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय नंबर 101,102 और 103, 2, नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई– 400051 में है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार(रों) 1) राम लखन द्विवेदी, (2) बीटू राम खेलावन शुक्ला , ऋण खाता संख्या 214620911412117 के तहत सूचना में उल्लिखित राशि तिथि 03.09.2024 तक **रु. 21,42,491/– [रुपये इक्कीस लाख बयालीस हजार चार सौ इक्यानबे मात्र]** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए आह्वान करते हुए दिनांक 06.09.2024 को माँग सूचना निर्गत की।

कर्जदार(रों) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, कर्जदार(रों) तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ इस **25 नवंबर, 2025** को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों तथा आम जनता को इस संपत्ति से लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से कोई भी लेन–देन एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) द्वारा तिथि 03.09.2024 तक **रु. 21,42,491/– [रुपये इक्कीस लाख बयालीस हजार चार सौ इक्यानबे मात्र]** तथा उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विमोचन हेतु उपलब्ध समय–सीमा के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल परिसंपत्ति(यों) का विवरणः

संपत्ति के स्वामी – श्री रामलखन द्विवेदी
संपत्ति विवरण – खसरा नंबर 182 और 183 मिन पर प्लॉट नंबर 1का पर निर्मित मकान। क्षेत्रफल 55.762 वर्ग मीटर, ग्राम हुसैन में स्थित, वार्ड–कन्हैया माधवपुर , तहसील और जिला–लखनऊ सीमाएँ: पूर्वः नूर मोहम्मद का प्लॉट, पश्चिमः 12 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्रेम चंद का प्लॉट, दक्षिणः आराजी दीगर

तिथि : 25.11.2025 अधिकृत प्राधिकारी,
स्थान : लखनऊ (उ.प्र.) एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS
FINANCIAL EXPRESS

एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101, 102 तथा 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई–400051

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई – 600116 तथा कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय नंबर 101,102 और 103, 2, नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई– 400051 में है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार(रों) (1) अमन अग्रवाल (2) मैसर्स अमन ट्रेडिंग सीओ (3) अनीता अग्रवाल , ऋण खाता संख्या 214620911177592 के तहत सूचना में उल्लिखित राशि तिथि 05 अगस्त, 2025 तक **रु. 30,86,366/– (रुपए तीस लाख छियासी हजार तीन सौ छियासठ मात्र)** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए आह्वान करते हुए दिनांक 22.08.2025 को माँग सूचना निर्गत की।

कर्जदार(रों) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, कर्जदार(रों) तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ इस **24 नवंबर, 2025** को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों तथा आम जनता को इस संपत्ति से लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से कोई भी लेन–देन एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) द्वारा तिथि 05 अगस्त, 2025 तक **रु. 30,86,366/– (रुपए तीस लाख छियासी हजार तीन सौ छियासठ मात्र)** तथा उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विमोचन हेतु उपलब्ध समय–सीमा के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है

अचल परिसंपत्ति(यों) का विवरणः

संपत्ति के स्वामी– श्री अमन अग्रवाल पुत्र श्री द्वारिका नाथ अग्रवाल
संपत्ति विवरण – मकान नं. 5, (एम.आई.जी.), एलडीए कॉलोनी, ऐशबाग, वार्ड– जल संस्थान, लखनऊ, जिला– लखनऊ माप क्षेत्रफल 167.286 वर्ग मीटर /1800 वर्गफुट, विक्रय पत्र के अनुसार सीमाएँ:– पूर्वः– मकान नं. 4, पश्चिमः– मकान नं. 6, उत्तरः– 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः– खुली भूमि

तिथि : 24.11.2025 अधिकृत प्राधिकारी,
स्थान : लखनऊ (उ.प्र.) एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

सीआईएनः U74899DL1991PLC046774
पंजीकृत कार्यालयः 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
फोनः 011–49487150 फैक्सः 011–49487197, 011–49487198
ईमेलः litigation@herofincorp.com | वेबसाइटः www.herofincorp.com

विषयः प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस, जिसे समय–समय पर संशोधित

17.11.2025

सेवा में,

1. मेसर्स दीवान ओवरसीज (सह–उधारकर्ता/पताकर्ता सं. 1) इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, निवास स्थानः – निचला तल, 4–5 एन डी टॉवर, संजय चौक, जीटी रोड, पानीपत, हरियाणा–132103
2. मेसर्स के3 इंटरनेशनल (सह–उधारकर्ता / पताकर्ता नंबर 2) इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, निवास स्थानः – लोअर ग्राउंड फ्लोर, 7 एन डी टावर, संजय चौक, जीटी रोड, पानीपत, हरियाणा–132103–
3. श्री कानव दीवान (सह–उधारकर्ता / पताकर्ता नंबर 3) पुत्र कपिल दीवान, प्रोपराईटर, निवासीः मकान नंबर 299 एल मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा –132103 औरः मकान नं. ए–110, अंसल टाउन, सेक्टर 36, करनाल, हरियाणा–132001
4. श्रीमती अंशी रस्तोगी (सह–उधारकर्ता / पताकर्ता नंबर 4) निवासीः पुत्री पुनीत कुमार रस्तोगी, 710/711 जगदीश सरन स्कूल, सोतीगंज मेरठ बेगम बाग, उत्तर प्रदेश–250001 और मकान नं. ए–110, अंसल टाउन सेक्टर 36, करनाल हरियाणा–132001
5. श्री कार्तिक दीवान (सह–उधारकर्ता / पताकर्ता नं. 5) पुत्र कपिल दीवान प्रोपराईटर निवासीः – मकान नं. ए–110, अंसल टाउन, सेक्टर 36, करनाल, हरियाणा–132001 और : मकान नं. ए–60, अंसल टाउन सेक्टर 36, करनाल हरियाणा–132001
6. श्रीमती रेणु दीवान (सह–उधारकर्ता / पताकर्ता 6) पत्नी कपिल दीवान, निवासीः मकान नं. 299 एल मॉडल टाउन पानीपत हरियाणा 132103 औरः मकान नं. ए–110, अंसल टाउन सेक्टर 36, करनाल हरियाणा–132001

संदर्भः लोन एग्रीमेंट दिनांक 28.06.2021, फैसिलिटी एग्रीमेंट दिनांक 19.03.2022 और फैसिलिटी एग्रीमेंट दिनांक 30.09.2022 जो आपके, एड्रेसी(एस) और मेसर्स हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के बीच किया गया था।

हमारी कंपनी, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (जिसे आगे ''एचएफसीएल'' कहा जाएगा) एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत निगमित और पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057 है। एचएफसीएल भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी विधिवत पंजीकृत है और पूरे भारत में अपने लाखों से अधिक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। हम आपको, प्राप्तकर्ता(ओं) को निम्नानुसार सेवा प्रदान करते हैं:

1. कि आप, प्राप्तकर्ता, वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक है, ने एचएफसीएल से संपर्क किया था, और वित्तीय सहायता मांगी थी। आपने, प्राप्तकर्ता(ओं) ने प्रस्तावित वित्तीय सुविधा को चुकाने के लिए पर्याप्त साधनों का प्रतिनिधित्व किया था। आगे यह दर्शाया गया कि उक्त सुविधा को सुरक्षित करने के लिए, आप, प्राप्तकर्ता एचएफसीएल के पक्ष में मशीनरी को गिरवी रखेंगे।
2. आपके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर, प्राप्तकर्ता (ओं) को सत्य और सही मानते हुए, एचएफसीएल ने आपको, प्राप्तकर्ता(ओं) को निम्नलिखित वित्तीय सुविधाएं देने पर सहमति व्यक्त की है:
   - I. रु. 1,49,61,346/– (रु. एक करोड़ उनचास लाख इकसठ हजार तीन सौ छियालीस मात्र) (इसके बाद इसे "वित्तीय सुविधा–1" कहा गया है) संपत्ति के विरुद्ध ऋण के रूप में मंजूरी पत्र संदर्भ सं. 13462670 दिनांक 28.06.2021 के तहत
   - II.. रु.34,53,424/– (रु. चौंतीस लाख तिरेपन हजार चार सौ चौबीस मात्र) (इसके बाद इसे "वित्तीय सुविधा–2" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, संपत्ति के विरुद्ध ऋण (टॉप अप) के रूप में मंजूरी पत्र संदर्भ सं. 23376725 दिनांक 19.03.2022 के तहत
   - III. रु. 35,50,000/– (रु. पैंतीस लाख पचास हजार मात्र) (इसके बाद इसे "वित्तीय सुविधा–3" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, संपत्ति के विरुद्ध ऋण (टॉप अप) के रूप में मंजूरी पत्र संदर्भ सं. 31698884 दिनांक 30.09.2022 के तहत
   (फाइनेंशियल फैसिलिटी–1, 2 और फाइनेंशियल फैसिलिटी–3, जिन्हें आगे एक साथ "फाइनेंशियल फैसिलिटी" कहा जाएगा)
3. ऊपर बताई गई सुविधाओं की मंजूरी के मुताबिक, आपके बीच 28.06.2021, 19.03.2022 और 30.09.2022 के फैसिलिटी एग्रीमेंट किए गए।
4. आप, यानी एड्रेसीज, फाइनेंशियल फैसिलिटी–1, 2 और 3 को 180 (एक सौ अस्सी) के अंदर चुकाने के लिए राजी हुए। फाइनेंशियल फैसिलिटी–1 और 2 के लिए 9.50% सालाना की दर से ब्याज लगेगा। फाइनेंशियल फैसिलिटी–3 के लिए, 10.0% सालाना की दर से ब्याज लगेगा। यह भी तय हुआ कि बकाया रकम पर देर से पेमेंट करने पर हर महीने 2% का पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज लगाया जाएगा।
5. कि वित्तीय सुविधा सं. 1 को सुरक्षित करने के लिए आप, प्राप्तकर्ता सं. 3 (श्री कनव दीवान) ने एचएफसीएल के पक्ष में दिनांक 23.07.2021 को शीर्षक विलेख जमा करके प्रविष्टि ज्ञापन निष्पादित किया। निम्नलिखित संपत्ति के लिए परिवर्तित भूमि/संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका माप 419.80 वर्ग गज, प्लॉट नंबर ए–110, अंसल टाउन, सुशांत सिटी, सेक्टर 36 करनाल, हरियाणा
6. उपर्युक्त वित्तीय सुविधा को सुरक्षित करने के लिए – 2 दिनांक 27.03.2022 को रचनात्मक डिलीवरी के माध्यम से शीर्षक विलेखों के पुनः जमा का ज्ञापन और वित्तीय सुविधा संख्या 3 दिनांक 11.10.2022 के लिए आपके द्वारा प्राप्तकर्ता संख्या 3 को एचएफसीएल के पक्ष में, उपर्युक्त बंधक संपत्तियों के संबंध में निष्पादित किया गया था।
7. तथापि, आप अभिभावक(ओं) ने पूर्वोक्त सुविधा समझौतों की शर्तों और नियमों का पालन करने में पूर्ण तरह से विफल रहे हैं और मासिक किस्तों (ईएमआई) के भुगतान में चूक की है। पूछताछ करने पर, आप अभिभावक(ओं) ने किसी न किसी बहाने से ईएमआई के भुगतान में देरी जारी रखी। इस प्रकार, आप, प्राप्तकर्ता(ओं) ने एचएफसीएल को काफी नुकसान पहुंचाया है।
8. आपके द्वारा, प्राप्तकर्ता(ओं) द्वारा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए किए गए चूक के परिणामस्वरूप और आपके, प्राप्तकर्ता(ओं) द्वारा ईएमआई का भुगतान न करने के लिए किए गए निर्दयी और लापरवाह आचरण से व्यथित होकर, एचएफसीएल को 01.11.2025 को आपके खाते/ऋण सुविधा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बाध्य किया गया था।
9. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एचएफसीएल द्वारा जारी दिनांक 05.08.2016 की अधिसूचना के अनुसार, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2 (1) (एम) के अनुसार वित्तीय संस्थान घोषित किया गया है।
10. इसलिए, एचएफसीएल, आपसे, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत प्राप्तकर्ता(ओं) से आपके बकाया दायित्व का निर्वहन करने का आह्वान करता है, आप, प्राप्तकर्ता(ओं) संयुक्त रूप से और अलग–अलग वर्तमान नोटिस की प्राप्ति से साठ (60) दिनों के भीतर रु. 2,08,20,654.74/– (रु. दो करोड़ आठ लाख बीस हजार छह सौ चौवन और चौहत्तर पैसे) 11.11.2025 तक [illegible]
11. यदि आप, प्राप्तकर्ता(ओं), पैरा (13) [illegible] कुल बकाया राशि को एचएफसीएल को साठ (60) दिनों के भीतर चुकाने में विफल रहते हैं, तो एचएफसीएल सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) [illegible]
12. इसके अलावा, आप प्राप्तकर्ता(ओं) को यह भी ध्यान में रखना होगा कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (13) के अनुसार, आप, प्राप्तकर्ता(ओं), एचएफसीएल की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना [illegible]
13. वर्तमान नोटिस एचएफसीएल को प्राप्त हुए या न्यायिक में प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, विवाद या उपाय के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जा रहा है।

स्थानः करनाल हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 28.11.2025 हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा का पताः दूसरी मंजिल, जस मां कॉम्प्लेक्स, डी 58/12, ए–2, गांधी नगर, सिगरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221010

ई–नीलामी–बिक्री सूचना सरफेसी ऐक्ट के तहत सुरक्षित अचल आस्ति की बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदाता(ओं)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि अधोवर्णित अचल सम्पत्तियां गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वतः पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात जबकि पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवम्बर, 2023 के प्रभाव से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया है) (जो पहले मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और मूलतः जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कम्पनी के नाम से निगमित की गई थी) (इसमें आगे अधिनियम के अनुसार "प्रतिभूत लेनदार" कही गई है) के पक्ष में बंधक रखी गई थीं। उक्त सम्पत्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले लिया है।

प्रतिभूत आस्तियां "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार" पर दिनांक 29.12.2025 को ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी। एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हम सार्वजनिक नीलामी का संचालन वेबसाइट **https://www.bankeauctiona.com** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से करेंगे। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.grihumhousing.com** देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार (सी)	सम्पत्ति का विवरण (डी)	सुरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी की 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय वाद, यदि कोई (के)
1	**ऋण संख्या HF00 55H21100554 अभिषेक कुमार यादव (उधारकर्ता) मैना देवी (सह–उधारकर्ता)**	नोटिस दिनांकः 08.08.2025 कुल बकायाः रु. 22,98,726/– (रु. बाईस लाख अट्ठानवे हजार सात सौ छब्बीस मात्र) 08.08.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @15.6% प्रति वर्ष ब्याज भी देय	**भौतिक**	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आराजी सं. 4, माप 1360 वर्ग फीट, अर्थात 126.39 वर्ग मी., मौजा करयत, परगना राल्हूपुर तहसील पी. डी.डी.यू (मुगलसराय) जिला चंदौली, और प्लॉट की सीमाएँ – पूर्वः श्रीराम और अन्य की भूमि, पश्चिमः कच्चा रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तरः आराजी का बाकी हिस्सा, दक्षिणः आराजी का बाकी हिस्सा.	**रु. 14,28,000/– (रु. चौदह लाख अट्ठाईस हजार मात्र)**	**रु. 1,42,800/– (रु. एक लाख ब्यालीस हजार आठ सौ मात्र)**	**27.12.2025 अप. 05 बजे से पूर्व**	**10,000/–**	**23.12.2025 (पूर्वा. 11 बजे अप. 4 बजे)**	**29.12.2025 (पूर्वा. 11 बजे अप. 2 बजे)**	**शून्य**

इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को बोली जमा करने से पहले प्रतिभूत लेनदार की शाखा आने और स्वयं जांच संचालित करने तथा अतिरिक्त प्रभार, ऋणभार तथा तृतीय पक्ष हित अभिनिश्चित करने तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि करने की सलाह दी जाती है। सम्पत्ति के साथ संबद्ध सभी सांविधिक देयताएं जैसेकि सम्पत्ति कर, बिजली/पानी बकाया तथा अन्य बकाया, यदि कोई, सफल बोलीदाता द्वारा अभिनिश्चित और अदा किए जाएंगे।

इच्छुक बोलीदाताओं को ई–बिडिंग के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना और नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्रा. लि. पता – प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, गुरुग्राम, हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नं. – 7291981124, 25, 26 सपोर्ट ई–मेल आईडी Support@bankeauctuions.com सम्पर्क व्यक्ति धरणी पी ई–मेल आईडी dharani.p@c1india.com सम्पर्क नंबर – 9948182222 से लॉगइन आईडी और पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त करना होगा, जो ई–बिडिंग के लिए अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि प्रत्याशी बोलीदाता ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के खाते में बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या : 091551000028 तथा IFSC कोड ICIC0000915 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर – 411014 में 27.12.2025 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी तथा अपना नाम https://www.bankeauctuions.com पर पंजीकृत करवाना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई–नीलामी पर प्रशिक्षण सेवा प्रदाता से प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड, ई–मेल करनी होंगी तथा स्व–सत्यापित भौतिक प्रतियां पता : दूसरी मंजिल, जस मां कॉम्प्लेक्स, डी 58/12, ए–2, गांधी नगर, सिगरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221010 मोबाइल नं. +91 9567626050 ई–मेल आईडी **rahul.r1@grihumhousing.com** को प्रेषित करनी होंगी। नियम एवं शर्तों के अधिक विवरण के लिए तथा ई–नीलामी में भाग लेने के लिए कृपया https://www.bankeauctuions.com एवं www.grihumhousing.com देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत कर्जदारों/सह–कर्जदारों/बंधकदाता(ओं)/गारंटर(रों) को 30 दिन का नोटिस भी माना जाएगा

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

दिनांकः 28.11.2025, स्थानः वाराणसी हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

ACRE MAKING ASSETS WORK
यूनिट संख्या 502, सी विंग, वन बीकेसी, रेडियस डेवलपर्स, प्लॉट संख्या सी 66, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई: 400 051

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

एसीआरई–एआरसी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत समनुदेशक से कर्जदार की संपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ–साथ अंतर्निहित प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कर लिया है। ऋण के उक्त अधिग्रहण के आधार पर, वित्तीय दस्तावेजों और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के समनुदेशन के माध्यम से ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए **एसीआरई–एआरसी** ने कर्जदार के बकाया ऋणों में सभी अधिकार, स्वामित्व और हित अर्जित कर लिए हैं। **एसीआरई–एआरसी** ने कर्जदार के प्रतिभूत ऋणदाता होने के नाते समनुदेशक की भूमिका निभाई है और यह ऋण सुविधाओं के संबंध में बकाया राशि वसूलने और अंतर्निहित प्रतिभूति हित को लागू करने का अधिकार रखता है।

ऋण खाता संख्या	एसीआरई ट्रस्ट	पोर्टफोलियो	असाइनमेंट की तिथि - एसीआरई	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम	धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि तथा राशि	बंधक संपत्ति का विवरण
73846000 00541 तथा 073LA402 02130001	ट्रस्ट 166	जेसीएफ	11.04.2025	पवन इनऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार), पवन कुमार अग्रवाल (सह कर्जदार), किरण अग्रवाल (सह कर्जदार), राकेश कुमार अग्रवाल (सह कर्जदार)	07-नव.-2025 तथा रु. 1,51,93,149 तिथि 07-नव.-2025	परिसर संख्या 59/54 ए के हिस्से का समस्त भाग, पूरी तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और टेरेस कवर्ड क्षेत्रफल लगभग 155.86 वर्ग मीटर है, साथ ही भूमि का हिस्सा 100 वर्ग मीटर, बिरहाना रोड, कानपुर।
63384600 001134	ट्रस्ट 166	जेसीएफ	11.04.2025	साई फार्मास्यूटिकल्स (कर्जदार),विनोद राय (सह-कर्जदार), रेनू राय (सह-कर्जदार),	07-नव.-2025 तथा रु. 97,61,891 तिथि 07-नव.-2025	व्यावसायिक दुकान नंबर 7बी/2 सेकेंड फ्लोर पर मल्टी स्टोरी हाउस बेयरिंग नगर निगमा नंबर 110/3-4,110/4ख और 110/22 माप 12.80 वर्ग मीटर, नया गांव पूर्व, वार्ड शिवाजी मार्ग, शहर और जिला लखनऊ में स्थित है
18846000 00903	ट्रस्ट 166	जेसीएफ	11.04.2025	मार्स एंटरप्राइजेज (कर्जदार), कुश तिवारी (सह कर्जदार), मंजू तिवारी (सह कर्जदार)	28-अक्टू.-2025 तथा रु. 2,49,68,900 तिथि 25-अक्टू.-2025	संपत्ति संख्या 1 आवासीय मकान/प्लॉट संख्या 5/147, माप 112.50 वर्ग मीटर, विराम खंड, गोमती नगर योजना, राजीव गांधी नगर, लखनऊ, मार्स एंटरप्राइजेज के स्वामित्व में इसके प्रोपराइटर श्री कुश तिवारी के माध्यम से संपत्ति नं. (2): कर्जदार के कच्चे माल, अर्ध-तैयार और तैयार माल, भंडार और पुर्जों के स्टॉक की सभी वर्तमान संपत्तियां जिसमें संयंत्र और मशीनरी (उपभोज्य भंडार और पुर्जे) से संबंधित शामिल हैं, प्राप्य बिल और पुस्तक ऋण और अन्य सभी प्राप्य और चल (वर्तमान और भावी दोनों) चाहे वे इनमें पड़े हों या संग्रहीत हों या इन प्रस्तुतियों की सुरक्षा के दौरान समय-समय पर उधारकर्ता के कारखानों, परिसरों और गोदामों में लाए जाएं या संग्रहीत किए जाएं या उनमें या उनके आसपास हों या कहीं भी और उसी रूप में कर्जदार के आदेश या निपटान के लिए किसी भी पार्टी द्वारा या पारगमन के दौरान या उच्च समुद्र में या आदेश या वितरण पर रखे जा सकते हैं, किसी भी तरह या जहां भी कर्जदार के कब्जे और/या नियंत्रण में और या तो प्रतिस्थापन या परिवर्धन के माध्यम से। और कर्जदार के सभी बही ऋण और प्राप्तियां (वर्तमान और भविष्य दोनों) जिसमें बकाया धन प्राप्तियां दावे और बिल शामिल हैं जो अब देय हैं या जो इस प्रतिभूति की निरंतरता के दौरान किसी भी समय कर्जदार को किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट या सरकारी विभाग या कार्यालय या किसी नगरपालिका या स्थानीय या सार्वजनिक या अर्ध सरकारी निकाय या किसी निकाय कॉर्पोरेट द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान देय हो सकते हैं।
73846000 00771	ट्रस्ट 166	जेसीएफ	11.04.2025	लतिका राजा (कर्जदार), लतिका थालिया (सह-कर्जदार), रेडियंस ग्लोबल (सह कर्जदार), गीता एन राजा (सह कर्जदार)	10-नव.-2025 तथा रु. 1,02,10,204 तिथि 10-नव.-2025	मद सं. 1 - फ्लैट नंबर टीएफ-1 का पूरा हिस्सा, जो तिलक नगर, कानपुर नगर में परिसर नंबर 7/81 के हिस्से पर निर्मित, जिसका कवर्ड एरिया 100.8 वर्ग मीटर है। साथ में 35.28 वर्ग मीटर जमीन का हिस्सा है, जिसकी छत 100.8 वर्ग मीटर है, तिलक नगर कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208002 में है। मद सं. 2 - फ्लैट नंबर टीएफ-2 का पूरा हिस्सा, जो तिलक नगर, कानपुर नगर में परिसर नंबर 7/81 के हिस्से पर बना है, जिसका कवर्ड एरिया 100.8 वर्ग मीटर, साथ में 35.28 वर्ग मीटर जमीन का हिस्सा है, जिसकी छत 100.8 वर्ग मीटर है, तिलक नगर कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208002 में है।
61184600 000072 तथा 61184600 000062	ट्रस्ट 166	जेसीएफ	11.04.2025	भव्या ऑटोमोबाइल्स (कर्जदार), मेहुल ऑटोमोबाइल्स (कर्जदार), अंजनी देवी (सह-कर्जदार), श्री ओम नारायण सिंह (सह-कर्जदार), आदित्य कुमार सिंह	28-अक्टू.-2025 तथा रु. 6,15,76,901 तथा रु. 5,70,11,345 तिथि 25-अक्टू.-2025	संपत्ति संख्या 1 - फ्लैट संख्या 4/204, प्रकार मल्हार डीलक्स, माप 109.52 वर्ग मीटर, द्वितीय तल पर, ब्लॉक -4, सहारा ग्रेस में स्थित, ग्राम-मड़ियांव, तहसील- बख्शी का तालाब, परगना-महोना, जिला-लखनऊ, स्वामित्व ओम नारायण सिंह पुत्र श्री के.एन. सिंह, संपत्ति संख्या 2 - प्लॉट संख्या 8, खसरा संख्या 26, माप 1123 वर्ग मीटर, ग्राम गुडम्बा, परगना-महोना, तहसील बख्शी का तालाब, लखनऊ में स्थित, स्वामित्व आदित्य कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री के.एन. कालीचरण सिंह संपत्ति नं. (3): - कर्जदार के कच्चे माल के स्टॉक की सभी वर्तमान संपत्तियाँ, अर्ध-तैयार और तैयार माल, संयंत्र और मशीनरी (उपभोज्य स्टोर और स्पेयर पार्ट्स) से संबंधित स्टोर और स्पेयर पार्ट्स, प्राप्य बिल और बुक ऋण और अन्य सभी प्राप्य और चल (वर्तमान और भविष्य दोनों) चाहे वे अंदर या आसपास पड़े हों या संग्रहीत हों या इसके बाद समय-समय पर इन प्रस्तुतियों की सुरक्षा के दौरान उधारकर्ता के कारखानों, परिसरों और गोदामों में लाए जाएं या संग्रहीत किए जाएं या उनमें या उनके आसपास रखे जाएं या कहीं भी और उसी रूप में कर्जदार के आदेश या निपटान के लिए किसी भी पार्टी द्वारा या पारगमन के दौरान या उच्च समुद्र में या आदेश या डिलीवरी पर रखे जा सकते हैं, कैसे भी या जहां भी कर्जदार के कब्जे और/या नियंत्रण में और या तो प्रतिस्थापन या परिवर्धन के माध्यम से, और उधारकर्ता की संपूर्ण चल अचल संपत्तियां, जिसमें लखनऊ और भारत में कहीं भी स्थित मेसर्स भव्य ऑटोमोबाइल्स के संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं (वर्तमान और भावी दोनों) या इसके बाद समय-समय पर इन प्रस्तुतियों की प्रतिभूति के दौरान कर्जदार के आदेश या निपटान में या पारगमन के दौरान या उच्च समुद्र में या आदेश या वितरण पर लाई जाएंगी, किसी भी तरह से या जहां भी कर्जदार के कब्जे में और या तो प्रतिस्थापन या जुड़ाव के माध्यम से। और कर्जदार के सभी बही ऋण और प्राप्तियां (वर्तमान और भावी दोनों) जिसमें बकाया धनराशि, दावे और बिल शामिल हैं जो अब देय हैं या जो इस प्रतिभूति की निरंतरता के दौरान किसी भी समय कर्जदार को उसके व्यवसाय के दौरान किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट या सरकारी विभाग या कार्यालय या किसी नगरपालिका या स्थानीय या सार्वजनिक या अर्ध सरकारी निकाय या किसी निकाय कॉर्पोरेट द्वारा देय हो सकती हैं।
18846000 01503	ट्रस्ट 166	जेसीएफ	11.04.2025	साई ऑटो (कर्जदार), अनवर अली (सह-कर्जदार), मो. अली (सह-कर्जदार), शमीम जहां (सह-कर्जदार), मो. असगर अली (सह-कर्जदार),	28-अक्टू.-2025 तथा रु. 7,30,50,415 तिथि 27-अक्टू.-2025	संपत्ति संख्या 1- भवन सहित भूमि निगम संख्या 239/35, माप 1200 वर्ग फुट, कटरा मीर जहांगीर बेग, वार्ड चौक यहियागंज, लखनऊ में स्थित, संपत्ति संख्या (2):- मकान संख्या 239/36, माप 185.873 वर्ग मीटर, कटरा मीर जहांगीर बेग, वार्ड चौक यहियागंज, लखनऊ में स्थित। संपत्ति संख्या (3):- खसरा संख्या 22 और 23 पर निर्मित मकान, माप 185.873 वर्ग मीटर, सरफरैगंज वार्ड बालकगंज, लखनऊ में स्थित।
23284600 000514	ट्रस्ट 166	जेसीएफ	11.04.2025	हाजी कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (कर्जदार), सलमान खान (सह कर्जदार), हाजी बब्लू (सह कर्जदार)	10-नव.-2025 तथा रु. 1,31,41,731 तिथि 10-नव.-2025	शीश हिस्सा प्रॉपर्टी/जमीन 100 वर्ग गज, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 23201 मिन आजम फैक्ट्री, मेन दिल्ली सहारनपुर रोड, ग्राम लोनी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश- 201001

सूचना के प्रतिस्थापना तामील के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों और/या उनके जमानतियों (जहाँ भी प्रयुक्त हो) को परामर्श दिया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के उपरांत आगे के कदम उठाए जाएंगे। कृपया सूचित हो कि उक्त सूचना धारा 13(13) के तहत भी है, जिसमें कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे उक्त बंधक संपत्ति को बेचा/पट्टे पर दिया/हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

दिनांक : 28.11.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : लखनऊ, गाजियाबाद एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड